

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

NOTIFICATION No. 16/2025–State Tax

Dated: 01/12/2025

No. F.3 (38)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1156 — In exercise of the powers conferred by sub section (ii) of Section 1 of the Delhi Goods and Services Act, 2025 (Delhi Act No. 6 of 2025) dated 19.08.2025, the Lt. Governor of NCT of Delhi hereby appoints the 1st day of October, 2025, as the date on which the provisions of clauses (ii) and (iii) of section 2, sections 3 to 5 and sections 7 to 15 of the said Act, shall come into force.

**By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,**


(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

No. F.3 (38)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/1156

Dated: 01/12/2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 16/2025-राज्य कर

दिनांक : 01/12/2025

फा0सं0 3(38)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-II 1156 - दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2025 (2025 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) दिनांक 19.08.2025 की धारा 1 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2025 को उस तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिस तिथि को उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ii) तथा (iii), धारा 3 से 5 और धारा 7 से 15 के प्रावधान लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,



(मंगेज सिंह)

उप-सचिव (वित्त)

फा0सं0 3(38)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-II 1156

दिनांक : 01/12/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु अनुरोध सहित।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फाइल



(मंगेज सिंह)

उप-सचिव (वित्त)